

मांग संख्या 06
मुख्य शीर्ष-2052

मद क्रमांक 1

छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत संचालनालय वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली में यात्रा भत्ता हेतु ₹ 1.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत संचालनालय वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली में प्रशिक्षण हेतु ₹ 1.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष-2054

मद क्रमांक 3

संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि अंतर्गत संचालक (अखिल भारतीय सेवा संवर्ग) के एक पद का सृजन हेतु ₹3.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 से 6

नवीन जिला कोषालय, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में फर्नीचर एवं उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी हेतु तथा नवीन 05 जिलों में कोषालयों की स्थापना हेतु 93 नवीन पदों के सृजन के लिए कुल ₹300 प्रतीक आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स लेवल	पद संख्या
1	कोषालय अधिकारी	लेवल-12	5
2	सहायक कोषालय अधिकारी	लेवल-9	5
3	सहायक ग्रेड-1	लेवल-7	10
4	सहायक ग्रेड-2	लेवल-6	20
5	सहायक ग्रेड-3	लेवल-4	23
6	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	लेवल-6	5
7	दफ्तरी	लेवल-2	5
8	भृत्य	लेवल-1	10
9	वाटरमेन (अंशकालीन)	कलेक्टर दर	5
10	फर्शिश (अंशकालीन)	कलेक्टर दर	5
योग			93

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु कुल ₹300 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष-4070

मद क्रमांक 7

संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि के लिए दो नवीन हल्के वाहन क्रय हेतु ₹14.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 14,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।